राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–10) विभाग

क्रमांक :–प.11(16) गृह–10/13/ जयपुर, दिनांक :– 23/6/2015

–:परिपत्र:–

गृह (ग्रुप–10) विभाग के परिपत्र कमांक प.11(16)गृह–10/13 दिनांक 29.01.14 में राजस्थान पुलिस नियम 1965 के नियम 8.1 (3) के प्रावधानों के अधीन यह निर्देशित किया गया था कि चालान वाले प्रकरणों में अनुसंधान पत्रावली की स्कूटनी (संवीक्षा) अभियोजन अधिकारियों द्वारा की जायेगी। एनडीपीएस एक्ट एवं राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के मामलों में उप निदेशक अभियोजन द्वारा, समस्त सैशन प्रकरणों के मामलों में सहायक निदेशक अभियोजन द्वारा एवं शेष प्रकरणों में सम्बन्धित सहायक लोक अभियोजक–प्रथम/द्वितीय द्वारा संवीक्षा की जायेगी।

सहायक निदेशक अभियोजन (प्रशासन) को सभी सैशन विचारण मामलों में ब्रीफ/स्कूटनी के अधिकार दिये जाने के कारण प्रशासनिक कार्यों में शिथिलता आयी है। सहायक निदेशक अभियोजन का मुख्य कार्य जिले के सभी अभियोजन अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखना, उनके कार्यों का निरीक्षण करना तथा उन्हें निर्देशित करना होता है। अतः पुलिस की अनुसंधान पत्रावलियों की छानबीन के संबंध में पूर्व में जारी परिपत्रों को अतिलंघित करते हुये उप निदेशक अभियोजन/ सहायक निदेशक अभियोजन/सहायक लोक अभियोजक प्रथम/सहायक लोक अभियोजक द्वितीय श्रेणी स्तर के अधिकारियों द्वारा की जाने वाली संवीक्षा (छानबीन) हेतु निम्न प्रकार आदेशित किया जाता है:–

उप निदेशक अभियोजन

1. राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एवं एनडीपीएस एक्ट के प्रकरणों में संवीक्षा रिपोर्ट सम्बन्धित संभाग के उप निदेशक अभियोजन द्वारा तैयार की जायेगी, लेकिन जहाँ एनडीपीएस न्यायालय में पदस्थापित अभियोजन अधिकारी अभियोजन विभाग के नियमित कैडर से हैं, वहां संवीक्षा रिपोर्ट उप निदेशक अभियोजन के स्थान पर एनडीपीएस न्यायालय में पदस्थापित अभियोजन अधिकारी (सहायक निदेशक अभियोजन) द्वारा बनायी जायेगी।

सहायक निदेशक अभियोजन

1. भ्रष्टाचार मामलों के विचारण के लिए स्थापित न्यायालयों द्वारा विचारणीय मामलों में आरोप–पत्र पेश करने से पूर्व उक्त न्यायालय में पदस्थापित सहायक निदेशक अभियोजन द्वारा पुलिस अनुसंधान पत्रावली की छानबीन/संवीक्षा (स्कूटनी) की जायेगी।
2. भारतीय दण्ड संहिता की धारा 121 से 128, 130, 302 से 304, 304बी, 306 व 376 तथा यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम "पोक्सो अधिनियम" के अपराधों में जिले में पदस्थापित सहायक निदेशक अभियोजन द्वारा छानबीन/ संवीक्षा की जायेगी।

सहायक लोक अभियोजक प्रथम/द्वितीय श्रेणी

उपरोक्त के अतिरिक्त शेष सभी मामलों में सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायिक न्यायालय में पदस्थापित सहायक लोक अभियोजक प्रथम/द्वितीय श्रेणी अनुसंधान रिपोर्ट की छानबीन/संवीक्षा (स्कूटनी) कर पत्रावली पुलिस को लौटायेंगे।

नोटः– सम्बन्धित अभियोजन अधिकारी के अवकाश पर रहने की स्थिति में लिंक अधिकारी द्वारा संवीक्षा रिपोर्ट तैयार की जायेगी।

इसके साथ ही यह भी आदेशित किया जाता है कि:–

1. सभी उप निदेशक अभियोजन/ सहायक निदेशक अभियोजन/ सहायक लोक अभियोजक प्रथम/ सहायक लोक अभियोजक द्वितीय श्रेणी संलग्न निर्धारित प्रारूप में, दो प्रतियों में संवीक्षा रिपोर्ट तैयार करेंगे। मूल संवीक्षा रिपोर्ट अभियोजन पत्रावली के

साथ संलग्न की जायेगी तथा दूसरी प्रति (कार्बन प्रति) मय पुलिस ब्रीफ, मासिक नक्शों के साथ निरीक्षणकर्ता अधिकारी को परीक्षण हेतु भिजवायी जायेगी।

2. सहायक लोक अभियोजक प्रथम/ सहायक लोक अभियोजक द्वितीय श्रेणी द्वारा तैयार की गयी संवीक्षा रिपोर्ट का परीक्षण जिला मुख्यालय पर पदस्थापित सहायक निदेशक अभियोजन द्वारा, सहायक निदेशक अभियोजन द्वारा तैयार संवीक्षा रिपोर्ट का परीक्षण संभाग के उप निदेशक अभियोजन द्वारा तथा उप निदेशक अभियोजन स्तर पर तैयार संवीक्षा रिपोर्ट का परीक्षण निदेशक अभियोजन के स्तर पर किया जायेगा।
3. संवीक्षा रिपोर्ट के संबंध में अलग से रजिस्टर संधारित किया जायेगा, जिसका निरीक्षण नियमित रूप से निरीक्षणकर्ता अधिकारी द्वारा किया जायेगा एवं निरीक्षण की रिपोर्ट निदेशक अभियोजन को भिजवायी जायेगी। रजिस्टर के पृष्ठ का प्रपत्र संलग्न है, जिसको रजिस्टर के रूप में संधारित किया जाये।
4. संलग्न प्रपत्र संख्या 1 से 7 का नियमित रूप से संधारण किया जाये।
5. अभियोजन अधिकारियों की संवीक्षा रिपोर्ट केवल अनुसंधान अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के बाबत अभियोजन अधिकारी की राय होगी। अनुसंधान के बाबत अन्तिम आदेश/निर्णय सम्बन्धित जिला पुलिस अधीक्षक का होगा, लेकिन न्यायालय में आरोप–पत्र सम्बन्धित अभियोजन अधिकारी के माध्यम से ही पेश किया जायेगा।

17.6.15

(राजेन्द्र सिंह चौधरी)
विशिष्ठ शासन सचिव, गृह
एवं संयुक्त विधि परामर्शी

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. पुलिस महानिदेशक, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक अभियोजन, राजस्थान, जयपुर।
3. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (अपराध), राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि सभी थानाधिकारियों को निर्देशित करें कि स्कूटनी से सम्बन्धित कार्यवाही में परिपत्र की पालना की जावे।
4. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक।
5. समस्त उप निदेशक अभियोजन, राजस्थान।
6. समस्त सहायक निदेशक अभियोजन, राजस्थान को भेजकर लेख है कि समस्त अधीनस्थ अभियोजन अधिकारियों को परिपत्र की प्राप्ति सुनिश्चित कर 15 दिवस में पालना रिपोर्ट भिजवायें।
7. रक्षित पत्रावली।

17.6.15

विशिष्ठ शासन सचिव, गृह
एवं संयुक्त विधि परामर्शी

अभियोजन संवीक्षा रिपोर्ट

1. संवीक्षा रिपोर्ट तैयार करने वाले अभियोजन अधिकारी का नाम : ------------------------------
2. एफ0आई0आर0 संख्या, पुलिस थाना, शीर्षक, धारा : ------------------------------
3. अनुसंधान अधिकारी का नाम ------------------------------
4. सवीक्षा हेतु पत्रावली प्राप्ति की दिनांक ------------------------------
5. बाद संवीक्षा पत्रावली लौटाने की दिनांक ------------------------------
6. अन्वेषण के दौरान उपलब्ध/जब्त वस्तुओं एवं दस्तावेजो की सूची

क्र.स.	वस्तुओं एवं दस्तावेजो का विवरण	साक्षियों के नाम

7. अनुसधान पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजों का विवरण

क्र.स.	दस्तावेजों का विवरण	साक्षियों के नाम

8. अभियुक्त जमानत पर है या अभिरक्षा मे ------------------------------
9. यदि अन्वेषण से अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों के विरूद्ध अपराध बनता है तो उनका नाम व विवरण ------------------------------
10. माननीय उच्चतम/उच्च न्यायालय के निर्णय जो प्रकरण की सफलता मे सहायक हो सकते है। ------------------------------
11. फरार अभियुक्तो के नाम और विवरण कि क्या उनकी उपस्थिति के लिए द0प्र0स0 के अन्तर्गत कार्यवाही की जानी है। ------------------------------
12. अन्वेषण में रही ऐसी कमियों का विवरण जिन्हे पूरी करने में अनुसंधान अधिकारी असफल था और अन्वीक्षा के दौरान इन कमिया पूरी करने के लिए उठाये जाने वाले कदमो का विवरण। ------------------------------

13. विशेष प्रक्रिया, प्रावधान, विशेष अधिकारी क्षेत्र प्रसंज्ञान, अन्वेषण स्वीकृति उप धाराओं एवं विशेष अधिकारियों द्वारा अभियोजन प्रस्तुत करना तथा अधिकृत अभियोजनकृता अधिकारी आदि का प्रावधान सहित उल्लेख कर पूर्ति एवं आपूर्ति तथा अभियोजन प्रस्तुत करने के पूर्व पूर्ति किये जाने हेतु प्रावधान के अनुसार टिप्पणी ---------------------------------

14. अनुसंधान मे छोडे गये ऐसे दोष जिन्हे अनुसंधान अधिकारी मिटा सकता था और इन/दोषो को पूरा करने के लिए सुझाए जाने वाले सुझाव जैसे कि पुनः अनुसंधान किया जाना इत्यादी ---------------------------------

15. अनुसंधान अधिकारी द्वारा अनुसंधान में छोडे गये ऐसे दोष जिनको दूर नही किया जा सकता और अन्वीक्षा के दौरान इनका सामना करने के लिए यथा सुझाव इत्यादी ---------------------------------

16. अनुसंधान में रही ऐसी कमियाँ जिनकी पूर्ति किया जाना आवश्यक है। : ---------------------------------

(अभियोजन प्रपत्र –1)

प्रेषक :–

सहायक लोक अभियोजक प्रथम/
सहायक लोक अभियोजक द्वितीय श्रेणी
....,

प्रेषिति :–

सहायक निदेशक अभियोजन।

महोदय,

माह .... से संबंधित निम्नलिखित मासिक प्रविवरण प्रेषित है :–

1. माह के दौरान दायर व निर्णित मुकदमो का मासिक प्रविवरण।
2. माह के दौरान निर्णित मुकदमो के वर्गीकरण का मासिक प्रविवरण।
3. माह के दौरान बिना परीक्षण वापिस भेजे गये साक्षियो का मासिक प्रविवरण।
4. संवीक्षा रिपोर्ट देरी से तैयार करने व देरी से संवीक्षा देने का मासिक प्रविवरण।

माह ....के दौरान अभियोजन व पुलिस अधिकारियो के बीच विचार विमर्श हेतु मीटिंग दिनांक..................................को बुलाई गयी थी (या नही बुलाई गयी थी) ।

भवदीय

सहायक लोक अभियोजक प्रथम/द्वितीय श्रेणी

(अभियोजन प्रपत्र –2)

प्रेषक :–

सहायक लोक अभियोजक प्रथम/
सहायक लोक अभियोजक द्वितीय श्रेणी
....

प्रेषिति :–

सहायक निदेशक अभियोजन।

महोदय,

माह .... के दौरान अभियोजन कार्य हेतु प्राप्त विभिन्न पत्रावलियों मे मेरे द्वारा निम्नलिखित रिकार्ड तैयार किया गया था, जो अवलोकन व परीक्षण हेतु प्रस्तुत है :–

क्र.स.	तैयार रिकार्ड का विवरण	मुकदमो की संख्या,जिनने तैयार किया गया
1.	संवीक्षा रिपोर्ट	
2.	लिखित तर्क	
3.	विमुक्ति टिप्पणी	

परीक्षण करने के उपरान्त सभी रिकार्ड कृपया वापिस भिजवाने का कष्ट करे।

भवदीय,

सहायक लोक अभियोजक प्रथम/द्वितीय श्रेणी

(अभियोजन प्रपत्र –3)

प्रेषक :–

सहायक निदेशक अभियोजन...

प्रेषिति :–

निदेशक/उप निदेशक अभियोजन।

महोदय,

माह .... के संबंध मे निम्नलिखित मासिक प्रविवरण प्रेषित है:–

1. सहायक लोक अभियोजक प्रथम/द्वितीय श्रेणी से संबंधित माह के दौरान दायर व निर्णित मुकदमो का मासिक प्रविवरण।
2. सहायक लोक अभियोजक प्रथम/द्वितीय श्रेणी से संबंधित माह के दौरान निर्णित मुकदमो का वर्गीकरण प्रविवरण।
3. माह के दौरान दायर अपील/निगरानी की संख्या।
   1.अपील
   2.निगरानी
4. निर्णित मुकदमो मे अभियोजन असफल होने के कारणो का मासिक प्रविवरण।
5. सहायक लोक अभियोजक प्रथम/द्वितीय श्रेणी से संबंधित निर्णित मुकदमो मे देरी से रिकार्ड भिजवाने का मासिक प्रविवरण।
6. सहायक लोक अभियोजक प्रथम/द्वितीय श्रेणी के कार्य मूल्यांकन का मासिक प्रविवरण।
7. माह के दौरान सहायक लोक अभियोजक प्रथम/द्वितीय श्रेणी द्वारा बिना परीक्षण वापिस भेजे साक्षियो का मासिक प्रविवरण।

जिन सहायक लोक अभियोजक प्रथम/द्वितीय श्रेणी से मासिक प्रविवरण प्राप्त नही हुए, उनका विवरण निम्न प्रकार है। उनका स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाकर सूचित किया जायेगा।

क्र.सं.	अभियोजन अधिकारी का नाम व पदस्थान	आवधिक प्रविवरण जो प्राप्त नही हुए स्पष्टीकरण प्राप्त करने के पत्र की क्र.सं.व दिनांक
1.		
2.		

माह ....के दौरान जिला मुख्यालय पर अभियोजन व पुलिस अधिकारियो के बीच विचार विमर्श हेतु मीटिंग दिनांक .... को बुलाई गई थी व नही बुलाई गई थी।

भवदीय,

सहायक निदेशक अभियोजन

(अभियोजन प्रपत्र –4)

प्रेषक :–

उप निदेशक अभियोजन...

प्रेषिति :–

निदेशक अभियोजन, राजस्थान,जयपुर।

महोदय,

माह .... मे संबंधित निम्नलिखित प्रविवरण प्रेषित हैः–

1. दायर व निर्णित मुकदमो का जिलेवार मासिक प्रविवरण।
2. सहायक लोक अभियोजक प्रथम/द्वितीय श्रेणी के कार्य मूल्यांकन का मासिक प्रविवरण।
3. सहायक लोक अभियोजक प्रथम/द्वितीय श्रेणी द्वारा देरी से संवीक्षा रिपोर्ट तैयार करने का मासिक प्रविवरण।
4. अभियोजन असफल होने के कारणो का जिलेवार मासिक विवेचन प्रविवरण।
5. बिना परीक्षण वापिस भेजे गये साक्षियो का मासिक प्रविवरण।
6. माह के दौरान निर्णित मुकदमो के वर्गीकरण का मासिक प्रविवरण।
7. सहायक लोक अभियोजक प्रथम/द्वितीय श्रेणी द्वारा निर्णित मुकदमो का रिकार्ड देरी से भिजवाने का प्रविवरण।

भवदीय,

उप निदेशक अभियोजन

(अभियोजन प्रपत्र –6)

प्रेषक :–

उप/सहायक निदेशक अभियोजन

प्रेषिति :–

सहायक निदेशक अभियोजन/
सहायक लोक अभियोजक प्रथम/
सहायक लोक अभियोजक द्वितीय श्रेणी ....

महोदय,

माह .... मे आपके द्वारा विभिन्न मुकदमो मे तैयार रिकार्ड, जो अपने परीक्षण हेतु इस कार्यालय को भिजवाया था, परीक्षण किये जाने के उपरान्त वापिस प्रेषित है। परीक्षण द्वारा आपके कार्य का निम्न मूल्यांकन किया गया है।

क्र.सं.	प्राप्त रिकार्ड का विवरण	प्राप्त रिकार्ड की संख्या	औसत से ऊपर	औसत	औसत से नीचे	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7

1. संवीक्षा रिपोर्ट
2. लिखित तर्क
3. विमुक्ति टिप्पणी

औसत से नीचे पाये गये रिकार्ड से संबंधित मुकदमो का विवरण निम्न प्रकार है:–

(1)

(2)

(3)

कृपया प्राप्ति रसीद भिजवाये।

भवदीय,

उप/सहायक निदेशक अभियोजन

सहायक निदेशक अभियोजन/सहायक लोक अभियोजक प्रथम/द्वितीय श्रेणी के कार्य स्तर मूल्यांकन का रजिस्टर

सहायक निदेशक अभियोजन/ सहायक लोक अभियोजक प्रथम/द्वितीय श्रेणी का नाम व नियुक्ति स्थान..

क्र. सं.	मुकदमे का विवरण(प्रथम सूचना संख्या, वर्ष, थाना/न्यायालय का मुकदमा संख्या,वर्ग इत्यादि	परीक्षण किये गये रिकार्ड का विवरण (जैसे संवीक्षा रिपोर्ट, लिखित तर्क, विमुक्ति टिप्पणी)	समुचित विस्तृत व ध्यानपूर्वक तैयार किया गया है या नही	तथ्य व कानून का विवेचन विस्तृत रुप से किया गया है या नही	स.नि.अ./ अ.अधि./ स. अ.अधि. का दृष्टिकोण सटीक, तार्किक व उचित है या नही	स.नि.अ./अ.अधि./स. अ. अधि द्वारा रिकार्ड तैयार करने का स्तर कैसा है			विशेष विवरण
						औसत से ऊपर	औसत	औसत से नीच	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

अभियोजन अधिकारियो द्वारा पत्रावलियो की संवीक्षा रिपोर्ट तैयार करने का रजिस्टर

क्र. सं.	पत्रावली प्राप्त होने की दिनांक	प्र.सू.रि.,पुलिस थाना, धारा	साधारण/आवश्यक	संवीक्षा करने की तारीख	यदि विलम्ब हो तो उसका कारण	पत्रावली वापिस लेने वाले के हस्ताक्षर
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						